

9



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 448]  
No. 448]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 31, 1986/कार्तिक 9, 1908  
NEW DELHI, FRIDAY, OCT. 31, 1986/KARTIKA 9, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as  
a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 1986

का. प्रा. 820(अ):—संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के  
अनुसरण में, राष्ट्रपति एतद्वारा निदेश देते हैं कि गंदी बस्ती क्षेत्रों (सुधार व  
सफाई) अधिनियम, 1956, (1956 का 96) की धारा 13 के अधीन केन्द्रीय  
सरकार की शक्तियां राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन होंगी और अगला आदेश  
होने तक, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक (उप-राज्यपाल) द्वारा प्रयोग में  
लाई जाएंगी।

[सं. यू. 11030/5/85-यू. टी. एल.]

अशोक नाथ, संयुक्त सचिव

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 1986

S.O. 820 (E) .—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the powers of the Central Government under section 13 of the Slum Areas (Improvement and Clearance) Act, 1956 (96 of 1956) shall, subject to the control of the President and until further orders, be exercised by the Administrator (Lieutenant Governor) of the Union Territory of Delhi.

[No. U-11030/5/85-UTL]  
ASHOK NATH, Jt. Secy.